राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या– 1371/2015..जिला.......अलवर..

उनवान–महेन्द्र सिंह पुत्र जोहरी लाल, निवासी–विमला कॉलोनी, मूगंस्का,अलवर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक अलवर प्रथम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2016	एकलपीठ श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री ईश्वर देवडा एवं अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। प्रार्थी ने अभिभाषक के जरिये विद्ड्रा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2016 को प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे प्रार्थी ने निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही एमनेस्टी स्कीम ब्याज व शास्ति बाबत छूट का लाभ उठाने हेतु विचाराधीन निगरानी को आगे नहीं चलाकर विड्रो करना चाहता है। उक्त निगरानी याचिका को प्रार्थी द्वारा विड्रो किये जाने से दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है। फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी **विद्ड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1371/2015/अलवर जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। 12-2-2015 (ईश्वरी लाल वर्मा) सदस्य	